न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 48 / 2021

हरि प्रसाद गर्ग निवासी हजारी का मौहल्ला अलवर जिला अलवर।

बनाम

तहसीलदार, नगर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.06.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरि प्रसाद गर्ग निवासी हजारी का मौहल्ला अलवर जिला अलवर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2021, 04.03.2021 तथा 22.04.2021 से तहसीलदार, नगर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 387 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा तहसीलदार, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार, नगर से उनके पत्र कमांक / 119 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। तहसीलदार नगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 114 दिनांक 14.06.2021 से अपीलान्ट को कार्यालय में उपलब्ध पत्रावलियों के अवलोकन हेतु लिखा जाना अपने जबाब में जाहिर किया है। स्पष्ट है कि लोकसूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार नगर से उक्त सूचनाऐं दिनांक 21.01.2021, 04.03.2021 तथा 22.04.2021 से चाही गई हैं। अपीलान्ट को सूचनाऐं उपलब्ध नही कराना एक गम्भीर विषय है। तहसीलदार नगर द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नगर को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर